

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

प्रह्लाद बनाम छोड़ू

संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/12/24	पत्रावली पेश। वकील पहाकर धारिता 11 बहक प्रोपत्र देणु	
	दिनांक 31/12/24 को पेश की	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
31/12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. का. म. रखने के कारण कार्य को जा सकी। पत्रावली दिनांक 31/01/25 को पेश की।	
21/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पहाकर प्रोपत्र देणु पत्रावली दिनांक 29/1/25 को पेश की।	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
29/1/25	पत्रावली पेश। वकुलाय उपो. नकल प्र-ज. प्र. डकी गरी। का. म. रखने 31/1/25 को पेश की।	उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
31/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपो. सहवन से पूर्व में अप्रार्थीगण सं. 2, पता 11 व 13 हाजिर अदालत नहीं आये हैं। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अब इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में लाई जाली है। पत्रावली पर पूर्ण में सिगरेट बहस पर मनन करने एवं	

प्रस्ताव बनाम छोड़

60/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन पश्चात् प्रा० पत्र अर्थात् निवेद्याज्ञा को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अरिपे अर्थात् निवेद्याज्ञा ताफैसला मूलवाद के पाबन्द किया जात है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिशाल है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 31/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
बस्मी (जिला जयपुर)